

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का झाडली

क्रिम मुकदमा- प्रा० पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 79/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

संख्या व तारीख

अहकाम जे हुक्म

हुक्म की तारीख

में जारी हुवे

17.09.2024

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1972-1974/भू.अ./2024 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम झाडली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3018, 3019, 3020, 3022, 3009, 3007, 3006, 3005, 3003, 3002, 2984, 2983, 2976, 3010, 3011, 3013, 3017 में से जा रहे ग्राम झाडली से बैडावाली ढाणी सडक से रूपपुरा काकड तक जाने वाले प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र (संबंधित कुछ खातेदारान् के हस्ताक्षर अंकित) है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवण अधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने वाले प्रस्तावित रास्ते के मौके पर खसरा नम्बर 2983, 2976, 3010, 3011, 3013 तक डामरीकरण सडक बनी हुई है एवं खसरा नम्बर 3018, 3017 में मौके पर ग्रेवल सडक बनी होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंसा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



तारीख दुबम

दुबम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायद्वित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीगाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार सजरव रिकार्ड में अगल दरागद करे। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से भरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकगील दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार)

उपस्थान्त अधिकारी
श्रीगाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठारीन अधिकारी - अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या-79/2024

निर्णय दिनांक: 17.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा
131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956

आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1972-1974/भू.अ.
/2024 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय
दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र (संबंधित खातेदार) एवं
अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट
जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न
दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम
झाडली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3018, 3019, 3020, 3022, 3009, 3007, 3006, 3005,
3003, 3002, 2984, 2983, 2976, 3010, 3011, 3013, 3017 में से जा रहे ग्राम झाडली से
बैडावाली ढाणी सडक से रूपपुरा काकड तक जाने वाले प्रचलित रास्ते मौके पर कदीमी रूप
से चालू होने, प्रस्वावित रास्ते के मौके पर खसरा नम्बर 2983, 2976, 3010, 3011, 3013 तक
डामरीकरण सडक बनी हुई है एवं खसरा नम्बर 3018, 3017 में मौके पर ग्रेवल सडक बनी
होकर मौके पर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आना बताया गया है। साथ ही



32
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(2)
 तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अभिलेख रिपोर्ट भी पेश की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान सू-अभिलेख नियम 57 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बरान में से रास्ते के काम आ रहे रकबे को निम्नानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.स	नाम मण्डल	पटवार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1	झाड़ली		झाड़ली	3018	0.07	0.0080
2	झाड़ली		झाड़ली	3019	1.49	0.0120
3	झाड़ली		झाड़ली	3020	0.47	0.0140
4	झाड़ली		झाड़ली	3022	0.69	0.0128
5	झाड़ली		झाड़ली	3009	0.84	0.0110
6	झाड़ली		झाड़ली	3007	0.49	0.0072
7	झाड़ली		झाड़ली	3006	0.03	0.0050
8	झाड़ली		झाड़ली	3005	0.68	0.0030
9	झाड़ली		झाड़ली	3003	0.14	0.0050
10	झाड़ली		झाड़ली	3002	0.48	0.0110
11	झाड़ली		झाड़ली	2984	0.05	0.0180
12	झाड़ली		झाड़ली	2983	0.14	0.02
13	झाड़ली		झाड़ली	2976	1.42	0.0360
14	झाड़ली		झाड़ली	3010	0.24	0.009
15	झाड़ली		झाड़ली	3011	0.21	0.007
16	झाड़ली		झाड़ली	3013	0.46	0.013
17	झाड़ली		झाड़ली	3017	1.47	0.024

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नक्शा ट्रेस



(Handwritten Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (निम्नकायाना)

(3)

दरज खातेदारी भूमियों में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश जाते हैं। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व को डे रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।



3c

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह आदेश आज दिनांक 17.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

3c

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)